

# ताई और वन्यजीव संरक्षण



पलामू टाइगर रिजर्व

दक्षिणी प्रमंडल

## प्यारे पाठको के लिए संदेश

प्यारे नन्हें मित्रों,

सभी को नए साल की शुभकामनाएँ।

पिछले अंक में हम नें आप सभी को जंगल में लगने वाली आग से होने वाली क्षति के बारे में बताया था। आशा है आप सभी अपने आस पास के जंगल-पेड़ों को आग से बचाने में अपना सहयोग दे रहे होंगे।

इस अंक में हम जंगल में रहने वाले जीव-जन्तुओं की सुरक्षा के बारे में जानेंगे। आप सभी को यह जान कर आश्चर्य होगा कि हम मनुष्यों का अस्तित्व जीव-जन्तुओं के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि एक छोटी सी मधुमक्खी के विलुप्त हो जाने से इस पृथ्वी पर मानव जीवन समाप्त हो सकता है। इसलिए वनों के साथ ही वन्यजीवों को बचाना भी अत्यंत ही आवश्यक है। हमारे संविधान के अनुसार वन्यजीवों की सुरक्षा करना हम सभी का मौलिक कर्तव्य भी है।

वन्यजीवों के अवैध शिकार, उनके रहने के जंगल उजड़ जाने, जलवायु परिवर्तन के कारण जीव-जन्तुओं की कई प्रजातियाँ इस पृथ्वी से पूर्णतः विलुप्त हो चुकी हैं, जैसे कि डोडो पक्षी, सुमात्रा के बाघ, सफेद गैंडे, पैसेंजर कबूतर इत्यादि। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार निकट भविष्य में पूरे विश्व भर में लगभग 10 लाख जीव-जन्तुओं की प्रजातियों के विलुप्त हो जाने की आशंका है। अवैध शिकार के कारण ही कभी काफी मात्रा में पाए जाने वाले बाघ की संख्या घट कर मात्र 1,100 हो गई थी, जिसे समय रहते उचित सुरक्षा देते हुए बचाया जा सका।

बाघ के अलावा भी कई ऐसी प्रजातियाँ हैं जिनका अवैध शिकार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जैसे कि, हाथी, तेंदुआ, भालू, वज्रकीट, छिपकली की प्रजातियाँ इत्यादि। इन शिकार के पीछे बड़े-बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह शक्तिशाली हैं, जो हमारे आस-पास के जंगलों से निर्दोष जानवरों का शिकार कर या आस-पास के लोगों को शिकार के बदले रूपयों का लालच दे कर जानवरों के अंग का अवैध व्यापार करते हैं।

हमारे इस अंक के माध्यम से सरकार ने आप सभी नन्हें पाठकों को इस विषय पर जानकारी देने का प्रयास किया है। आशा है कि आप सभी इससे सीख लेकर वन्यजीव संरक्षण में अपना सहयोग प्रदान करेंगे।

**मुकेश कुमार**

(भारतीय वन सेवा)

उप निदेशक, दक्षिणी प्रमंडल,  
पलामू व्याघ्र आरक्ष, मेदिनीनगर।

## ताई और वन्यजीव संरक्षण

ताई के लिए हम दिन स्वामन होता है, कुछ नया होता है। हम दिन वे नयी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहती हैं। समाज की हम बुनार को मिटाने के लिए तत्पर दिखती हैं। हम दिन की भांति ताई सुबह छह बजे सो कर उठी थी।



ताई अपने खुले बालों को लपेट कर ऊँचे में बदलती हुई बाथरूम फ्रेम होने चली गयी।



बाथरूम में लौट कर किचन में अपने लिए चाय बनाने चली गयी।

चाय का प्याला लेकर वे टेबल पर आ गयीं।



मुहल्ले के बच्चे नबड़ के गेंद में पिछो खेल, खेल रहे थे।



हंसते-खेलते बच्चों को देखती है तो वे बहुत खुश होती हैं। जीवन का सच्चा आनन्द बचपन में ही होता है। निश्चय ही और निश्चल होता है बचपन। बचपन कुछ नया जानने का, कुछ नया करने का अवसर व प्रेरणा देता है।



खेलते-खेलते बच्चे अचानक माहम गये। बगल की झाड़ी में एक साँप बाहर निकल आया था।



भांप देख कर बच्चे जोर-जोर से चिल्लाने लगे।  
उनकी आवाज सुनकर कुछ लोग अपने-अपने घरों से  
लाठी लेकर बाहर आये थे।

परिस्थिति को भांपते हुए ताई उमर से ही आवाज दी-



रुकिये , उमरे मत मानिये....

मगर ताई....

मैं आती हूँ....



कहती हुई ताई मीदी की ओर बढ़ती है।



तुरंत भांप वाली जगह पर पहुंच  
जाती हैं।

इस देवुवान प्राणी को क्यों  
मार रहे हो? इसने तुम सब को कोई  
हानि पहुंचाई क्या ?

नहीं! लेकिन किसी  
को डंसा लेगा.....



झांपों को लेकर हमारे देहा में इतनी शान्तियां फैलायी गयी हैं कि मनुष्य झांपों के दुश्मन हो गये हैं....नाग को मान दिया जाये तो नागीन, या' नागीन को मान दिया जाये नाग बदला लेते हैं..... नाग-नागीन की आंखों में मानने वालों की तस्वीर छप जाती है.....क्या उनकी आंखों में कैमरा लगा हुआ है, उनकी आंखें प्रिंटिंग मशीन है?



बकवासों पर विद्वान्म कर् के मनुष्य हत्याना बन गया है और बनता जा रहा है.....अभी तुम सब भी बनने जा रहे थे।



यही झर्प मंदिरों में दिख जाये तो तुम लोग दूध पिलाने के लिए कतारें बनाने लगते हो और बाह्य दिखे तो लाखों मानने के लिए उठ जाते हो। अपने स्वभाव को बदलो, दूसरे मत बनो।



देखते ही देखते झांप पुनः झाड़ी में चला गया।

देखो.....बिना कुछ किये ही अपनी जगह पर चला गया बेचाना मार्ग भटक गया था।





उम्माका फोन नम्बरी ही थी कि किस्सी और का फोन आ गया। तार्ई ने फोन उठया तो उधन मे आवाज आयी-

पुलिम्मा में रिपोर्ट कन दिये है, पनन्तु कुछ नहीं हुआ अभी।

तार्ई मेरा नाम मंजय है... कल बाग मे मेरा बेटा लापता है, कृपया मेरी मदद कीजिए...

मंजय भाईईईई....., पुलिम्मा वाले भी आदमी होते हैं ... उनके पास कोई अलादिन का चिराग तो है नहीं कि जमीन पर नगड़ते ही जीन् प्रकट होकर पल भन में आपके बेटे को हाजिर कन देगा।

आप पुलिम्मा में रिपोर्ट कीजिए .... वे लोग ढूंढ लेंगे।

हां, वो तो सही है, पन पत्नी को कैसे समझाएं....

वह एक मां है और मां का हृदय.....

ठीक है हम आते हैं...

तार्ई बिना सोच-विचार किये मंजय के घर के लिए मस्कूटी से निकल गयी। जब बात किस्सी की संतान की होती है, तो तार्ई ऐसे मामले में विलम्ब नहीं करती।



.....घबराओ नहीं..  
हम लोग  
झूठे जाते हैं।

ताईईईई५५५....

कहां हूँ जाईयेगा.....ई गांव  
जंगल के भीमा पर पड़ता है।  
कई बान जंगली जानवर इधर  
घुम आते हैं और आदमी एवं  
हमारे मवेशी को उख ले जाते हैं।

इनके बच्चे को भी उठा ले  
गया होगा.....ऐसी घटनाएं  
किलनी बार घट चुकी है।

आप चुप्प रहिए तो.....आप  
मे कोई झलाह नहीं मांग रहा...

रुख जंगल के आसपास के एरिया में  
तलाशते हैं....मुझे विश्वास है बच्चा  
मिल जायेगा.....चलिए संजय भाई मेरे  
साथ...किमी वनकर्मी को भी साथ ले लेते हैं।

ऐसे जंगल बिना किसी वनकर्मी के सहयोग के नहीं जाना चाहिए उनके मार्गदर्शन में किसी को कोई ख़तरा उठना नहीं पड़ता।





ताई खूँटे की ओर बढ़ गयी थी।  
मंजय भी मन मान कर उनके पीछे-पीछे  
चल पड़ा।



यह केला नहीं है....माजिदा है।  
जानवरों को फंसाने के लिए वख्त्र  
नचा गया है।पके केले की गंध हाथी,  
बंदर व अन्य जानवरों को अपनी  
ओर खिंचती है।

खूँटे को देख ताई चौंक गयी....खूँटे में आधे दर्जन पके  
केले बंधे थे,जिसकी गंध हवा के माध्यम में दूर-दूर तक  
फैल रही थी।



खूँटे के समीप घास-फूस की नकली पनत बनायी हुई थी।  
घास-फूस हटाने पर एक बड़ा सा गड्ढा दिखा था। ताई  
कुछ सोच ही नहीं थी कि मंजय गड्ढा देख का चौंक  
गया था। उसके बच्चे का एक पैर का जूता वहां पड़ा था।



ताई यह मेरे बेटे का जूता है।  
वह यहां आया था....

मंजय भाई,आप जाईए और जल्दी में पुलिस को  
लेकर आईए.....मासला बहुत गंभीर है।हम तब तक  
केले की गुथी मूलखाते हैं।

क्या मतलब ?





बेटे को पाना है तो हम हाल में  
पुलिम को लेकर ही आना....

शेक है ताई....  
अभी जाते हैं।



बच्चे को इम्र घने जंगल में कहां  
ले जाया जा सकता है? बहुत  
मुश्किल मामला है.....कहां हों ?



मंजय चला गया था। ताई अपनी झुल्ल-बुल्ल में जंगल में चल रही  
माजिदा की पड़ताल कर रही थी।

मां-बाप की लापनवाही  
में ही इम्र तरह की  
घटनाएं घटती हैं।



ताई पढ़ी-लिखी ममखदान तो है ही, साथ ही  
माहसी और निऊ महिला भी है। हीमलों के  
दम पर बहुत माने काम को अंजाम देती रहती हैं।



वह रास्ता एक सप्ताह तक जाकर खत्म होता था। ताई को जैसा संदेह था, वैसा ही प्रतीत हुआ। जली हुई बीड़ी के आठ-दस टुकड़े सप्ताह के आम-पाम दिख रहे थे।



दुनिया में बहुत से प्रार्थी लोग भने पेड़े हैं। प्रकृति के साथ छेड़-छाड़ करने के शौक पाल कर रखे हैं। अपने प्रार्थ के लिए होने-भने पेड़ों को काटते हैं। बेजुबान जानवरों व पक्षियों का शिकार करते हैं।



हाथी, बाघ, हिरण आदि को मानकर उनके दांत एवं चमड़े की तस्करी करते हैं।



जंगलों की कटाई करना

जानवरों को फँसाना



उनकी तकनीक करना





ताई मोचते-मोचते खंडून में घुस गयी थी।

आज इन पापियों  
के पाप का घड़ा  
भर गया है।



बाप ने बाप !  
अंदन गजब की व्यवस्था है!!



बाह्य में खंडून है,  
लेकिन अंदन में पूरी  
संसाधन युक्त मकान  
था, जिसमें अनेक कमरे  
थोबरासदा था।

ताई अंदन हॉल में बहुत आतर्कता पूर्वक घुसी थी।  
हॉल के एक कोने में हाथी का एक बच्चा लोहे की चेन  
में बांध कर रखा गया था।



हाथी का बच्चा मृमृत था, मानों वह कुछ दिनों में खायी-पीया नहीं  
होपीपल की पत्तियां व पानी की बाल्टी उसके पास रखी हुई थी।

ताई इधर-उधर अपनी नजरें घुमा रही थी। अचानक उन्हें  
दूसरे कोने में कुर्सी पर बैठे दो व्यक्ति दिखे। दोनों  
अपने-अपने मोबाइल में खूबे हुए थे। एक जमीन  
पर लेटकर मोबाइल देख रहा था।



ताई धीरे-धीरे,  
दो पांव एक कमरे में घुस  
गयी थी। जहां दो लड़का और एक  
लड़की को बंधक बना कर रखा गया  
था। तीनों नाबालिग थे।

ताई को देखते ही लड़की चिड़ुकी थी-

ताई आ गयी। अब हम  
लोग मुक्त हो जायेंगे।

धीरे बोलो.....तुम सब के  
अतिरिक्त भी और कोई बंदी है ?

हां...बगल वाले कमरे  
में तीन खे दीदी और हैं।





पके केले की गंध  
आ रही है!

तुम लोग इनके चक्कर में  
कैसे फंसा गये बेटी?

हम सब लुकाछिपी  
खेल रहे थे कि  
हमें केले की गंध  
लगी थी.....

हां, मुझे भी  
लग रही है।

चलो, चल कर  
देखते हैं।

फिर हम लोग केले झूठे  
निकले थे...और फंसा  
गये इनके चक्कर में....

इन्हें छोड़ूंगी नहीं.....  
इसका मतलब है कि  
व्यवजीवों की तमकनी  
के साथ- साथ मानव  
तमकनी भी करते हैं।





बाप ने....तुम्हारा हाथ ,  
या हथौड़ा मेरी मां  
दिन में ही हमें ताने दिया दी।

छोटी का दूध भी  
याद दिलाऊंगी।

एक व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर ताई की ओर दौड़ा था कि  
ताई ने उसने भी धूल चटाई थी।



ये औनत है, या क्यामत इसके घुंमने से तो  
अपना पूरा जबड़ा हिल गया यान।

हां यान....ऐसी  
स्वतन्त्रताक औनत  
जीवन में पहली बार  
देख रहा हूं.....

एक के बाद एक एककान ताई के झाना देखने को मिल रहा था। बच्चे  
हंसा रहे थे। बदमाशों को मान पड़ रही थी और बच्चों को मजा आ  
रहा था।

ताई इन्हें और मारिए....  
हम लोगों को ये बहुत माने हैं...

तुम्हारे हन  
मुनार का  
हिमाब भी आज  
बेहिमाब होगा.....



बाकई .....अपनी कमर कमाते हुए ताई उन पर ब  
अंधाधुन उन दोनों बदमाशों की धुनाई कम नहीं

औरत को कमजोर मत  
समझ ने दुष्ट, तुझ जैसे बीतान  
को भी नौ महीने तक अपनी कोख में  
पालने की क्षमता नसबती है औरत,  
जिसे तुम सब माल समझते हो !

ओह ....  
मैं तो गया  
काम मे...

मरने भी नहीं  
और जीने  
क भी नहीं  
...तुम सबका  
ल ककंगी...

अब बस  
भी क्यो....

अभी तो हमारा  
खेल शुरू हुआ  
है बच्चा



भी कोई तीसरा बदमाश पीछे से तारि  
दबोच लिया था, लेकिन तारि श्रवण को बचाते हुए  
सने पर भी जोर का वार किया था।


ओह.....!

तारि क्रोधित हो  
प्रचंड रूप धारण  
कर ली।

बाप रे....बाप  
चंडी के अवतार  
लग रही है....

लो बच्चा थोड़ा  
गंजा तुम भी चख लो....

अब बय्या दो मेरी  
अम्मा !!



ताई के शक्ति प्रदर्शन देखकर बच्चे डर गये थे।  
अपनाधियों की चीखें दिल दहला देने वाली थी।



मीठी-माधी ताई नरक की भंडार हैं।  
मार्शल आर्ट की पुरानी शिबलाड़ी नर चुकी हैं।  
ऐसे दुच्चे लोगों के बका में आशानी मो नहीं  
आ सकती थी।

ताई बदमाशों को धुन भी रही थी और नमीलें भी दे रही थी-

जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों की सुरक्षा के लिए बनाए गए भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार किसी जंगली जानवर को कैद करना, हत्या करना, उन्हें जहन देना, फंदा लगाना, या फंसाना आदि का मतलब है शिकार करना।



2003 में इस कानून को और ज्यादा मजबूत कर दिया गया है..... अब कम से कम तीन साल के लिए मजकरी मेहमान बन कर जेल में चक्की पिझो और वहां की मोटी दवाओ।

संजय पुलिसवालों को लेकर आ गया था। पुलिसवालों के साथ वन विभाग के पदाधिकारी भी आये थे।




बदमाशों की धुनाई करने वाली महिला ही ताई है सन !

















1. जंगल में शिकार करना अवैध है।
2. जंगल में हरे-भरे पेड़ों की कटाई गैरकानूनी है।
3. जंगल में जंगली जानवरों को कोल्ड-ड्रिंक, चिप्स, चॉकलेट व बिस्कुट आदि खिलाना भी गैरकानूनी है, क्योंकि उनके शरीर के लिए ये चीजें हानिकारक है।
4. प्रवेश निषेध क्षेत्रों में प्रवेश करना गैरकानूनी है।
5. जंगल में जानवरों के साथ बर्बरता पूर्वक बर्ताव दंडनीय अपराध है।
6. जंगली जानवरों, पक्षियों व पौधों के लिए बनाये गये भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का पालन सभी के लिए अनिवार्य है। **कानून का उल्लंघन दंडनीय अपराध है।**

सर्वाधिकार सुरक्षित : पलामू टाइगर रिजर्व, दक्षिणी मंडल

चित्र और कथानक : अमन चक्र